भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1248
उत्तर देने की तारीख : 03/12/2024

दृष्टि-बाधित लोग

1248. श्री जुगल किशोर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय संस्थानों में दृष्टि-बाधित बालक-बालिकाओं की शिक्षा, पुनर्वास और कौशल विकास के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा दृष्टि-बाधित व्यक्तियों के कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत दस राष्ट्रीय संस्थान कार्य कर रहें हैं जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगताओं के क्षेत्र में पुनर्वास कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना तथा अनुसंधान एवं विकास करना है।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून दृष्टि बाधित व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण हेतु दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। एनआईईपीवीडी द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं-

(i) एनआईईपीवीडी नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के 248 दृष्टि बाधित छात्रों को शिक्षा (सीबीएसई से संबद्ध) प्रदान कर रहा है और निःशुल्क आवास, भोजन, यूनिफार्म, पुस्तकालय की सुविधाएं, चिकित्सा, सहायक उपकरण, सुगम्य सामग्री और परीक्षा के लिए स्क्राइब की सहायता उपलब्ध करा रहा है।
(ii) मॉडल स्कूल की बालवाटिका को छोटे बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो उन्हें कक्षा 1 में औपचारिक रूप से स्कूल जाने हेतु तैयार करता है।

(iii) यह संस्थान विभिन्न कारोबार (ट्रेडों) जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, ब्रेल आशुलिपिक और सचिवीय सहायता (अंग्रेजी और हिंदी), सहायक प्रौद्योगिकियां, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रेडियो जॉकी (आरजे), संगीत, काम और सामाजिक जीवन में समायोजन, माली और रिफ्लेक्सोलॉजी (किसी अंग पर दबाव डालकर दूसरे अंग को ठीक करना) आदि में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाया जा सके, उनमें स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सके और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें ।

(iv) यह संस्थान भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त मानव संसाधन विकास विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है ।

(v) यह संस्थान नोडल एजेंसी के रूप में ब्रेल प्रेस परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना के तहत, स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए टॉकिंग बुक्स, ई-पब/डिजिटल बुक्स और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों सहित पठन सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 25 ब्रेल प्रेस स्थापित किए गए थे।

(vi) यह संस्थान छात्रों को विभिन्न सुगम्य प्रपत्र - बड़े प्रिंट की ब्रेल, ऑडियो और ई-पब में शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय की होस्टिंग कर रहा है।

(vii) एनआईईपीवीडी ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए गणित और विज्ञान की कक्षाएं संचालित करने के लिए सीबीएसई से मान्यता प्राप्त की है तथा सुगम्य प्रौद्योगिकियों और उपकरणों से सुसज्जित दो नई विज्ञान प्रयोगशालाएं भी शुरू कीं हैं।

(ग) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत स्वैच्छिक संगठनों को गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना तथा कम दृष्टि केन्द्र परियोजना के विकल्प के साथ दृष्टिहीन (बधिर दृष्टिहीन सहित) बच्चों के लिए विशेष स्कूल चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह विभाग 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है, ताकि

दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, उन्नत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने में सहायता मिल सके, जिससे देश भर के दिव्यांगजनों में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वितरित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्रों और उपकरणों में सुगम्य स्मार्ट फोन, स्मार्ट केन, कम दृष्टि के लिए सहायक उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) किट आदि शामिल हैं।

दिव्यांगजनों को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर, उत्पादक और समाज में योगदानकर्ता सदस्य बनने और अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाने के लिए, दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मार्च 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की। एनएपी-एसडीपी के तहत, दृष्टिबाधित, लड़कों और लड़कियों सहित 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग वाले दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। एनएपी-एसडीपी योजना के तहत, विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया हैं। ये सरकारी और गैर-सरकारी संगठन देश भर में कौशल प्रदान करते हैं।

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग ने सितंबर 2023 में पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल उन दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण संगठनों और नियोक्ताओं/नौकरी एग्रीगेटर्स के लिए वन-स्टॉप डिजिटल गंतव्य है, जिन्हें कौशल और रोजगार की आवश्यकता है। इस पोर्टल के तहत दो मॉड्यूल हैं:-

i. दिव्यांगजन कौशल विकास: इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
ii. दिव्यांगजन रोजगार सेतु: यह प्लेटफॉर्म दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के लिए रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को जोड़ने का कार्य करता है। यह प्लेटफॉर्म पूरे भारत में दिव्यांगजनों के साथ-साथ निजी कंपनियों में रोजगार/आय के अवसरों पर जियो-टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है।

एनएपी-एसडीपी योजना मांग आधारित योजना है और सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के प्रस्ताव के आधार पर उन्हें निधियां जारी की जाती हैं।

दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्र परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अब तक दृष्टिबाधितों के लिए नौकरी के 21 कार्यों और कम दृष्टि वालों के लिए नौकरी के 35 कार्यों को अनुकूलित किया गया है।

अब, पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल के माध्यम से 111 दिव्यांगजनों (कम दृष्टि और दृष्टिबाधित) का प्रशिक्षण चल रहा है।

कक्षा 9 से कक्षा 12 तक एसटीईएम विषयों का अध्ययन करने वाले 100% दृष्टिहीन छात्रों के लिए विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

वित्तीय सहायता प्रति छात्र प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये या वास्तविक ट्यूशन शुल्क, जो भी कम हो, तक सीमित है। यह सहायता दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि से प्रदान की जाती है।

विभाग 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है जिसमें छह घटक शामिल हैं;

- प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X),
- पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा),
- उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा),
- राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर्स डिग्री/पीएचडी),
- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम. फिल और पीएचडी);
- नि: शुल्क कोचिंग (समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षाओं के लिए)।

उपरोक्त सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं। छात्रवृत्ति राशि 'डीबीटी मोड' में छात्रों के बैंक खाते में सीधे जारी की जाती है।

*****